



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249926
CG-DL-E-07112023-249926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4629]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2023/कार्तिक 16, 1945

No. 4629]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2023/KARTIKA 16, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2023

का.आ. 4828(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 'भारतीय प्रेस परिषद्' (PAN-AAABP0351P), भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (केन्द्रीय अधिनियम) के अध्याय II के पैरा 1 के तहत स्थापित एक निकाय, उस निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) प्रकाशकों और अखबारों से शुल्क की वसूली; और

(ख) भारतीय प्रेस परिषद् के बचत बैंक खातों और एफडीआर पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि भारतीय प्रेस परिषद्:-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगी।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 98 /2023 फा.सं. 300196/8/2018-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए)-I

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।